भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2754

दिनांक 04 अगस्त, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत कवरेज

2754. श्रीमती हिमाद्री सिंह:

श्री रामचरण बोहरा:

श्री संजय सेठ:

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) झारखंड में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना (एवी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत कार्यरत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अस्पतालों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार और जिले-बार कुल संख्या कितनी है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध किए जाने के इच्छुक निजी अस्पतालों के लिए किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-बार कुल कितनी घनराशि आबंटित की गई है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत देश की कुल जनसंख्या में से कितने प्रतिशत लोग लाभान्वित हुए है;

(ड) क्या एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत पैनल में शामिल अस्पताल उपचार प्रदान करने के लिए बाध्य हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत उपचार से इंकार करने वाले सूचीबद्ध अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) कुष्ठ रोग, चर्म रोग और कैंसर आदि सहित उन रोगों का ब्यौरा क्या है जिनके उपचार को योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है और झारखंड में एबीपीएमजेएवाई के तहत उपचार के लिए विशिष्ट अस्पतालों का रोग-वार विवरण क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) से (छ) आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत पैनल में शामिल सरकारी और निजी अस्पतालों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलगन्नक -I** में दिया गया

है। झारखंड राज्य में इस स्कीम के अंतर्गत सूचीबद्ध सार्वजनिक और निजी अस्पतालों की कुल संख्या का जिला-वार ब्यौरा **अनुलगन्नक-II** में दिया गया है।

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत अस्पतालों को सूचीबद्ध करने की जिम्मेदारी राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों (एसएचए) को सौंपी गई है। इच्छुक निजी अस्पताल निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के बाद पैनल में शामिल हो जाते हैं और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर एसएचए की आवश्यकता के अधीन होते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानीय आवश्यकता के आधार पर अस्पताल के पैनल में शामिल किए जाने के मानदंडों में परिवर्तन करने की छूट भी दी जाती है।

अस्पतालों को दो प्रकार के पैनल-मानदंडों के तहत सूचीबद्ध किया जाता है जो निम्नानुसार हैं:

- सामान्य मानदंड - उन अस्पतालों के लिए जो आईसीयू और आपातकालीन सेवाओं के साथ या बिना गैर-विशिष्ट सामान्य चिकित्सा और शल्य चिकित्सा देखभाल प्रदान करते हैं।
- विशेष मानदंड (नैदानिक विशिष्टताओं के लिए) - प्रत्येक विशिष्टता के लिए, मानदंडों का एक विशिष्ट सेट निर्धारित किया जाता है। एक विशिष्ट नैदानिक सेवा प्रदान करने के लिए, अस्पताल के पास आवश्यक विशिष्ट बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन होना चाहिए जैसा कि योजना के तहत विकसित विशेष मानदंडों में निर्धारित किया गया है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां उनके द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद ही जारी की जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत आबंटित बजट और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है

(करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	उपयोग की गई धनराशि
2018-19	2400.00	2160.00	1849.50
2019-20	6400.00	3200.00	2992.90
2020-21	6400.00	3100.00	2544.10
2021-22	6400.00	3199.00	2940.60
2022-23	6412.00	6412.00	6048.00
2023-24	7200.00	7200.00	1855.00

एबी-पीएमजेएवाई का उद्देश्य देश की सबसे निचली 40% आबादी वाले 12 करोड़ परिवारों के अनुरूप 55 करोड़ व्यक्तियों को मध्यम और विशिष्ट परिचर्या अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये

का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। एबी-पीएमजेएवाई को लागू करने वाले कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी लागत पर लगभग 15.5 करोड़ परिवारों के लिए लाभार्थी आधार का विस्तार किया है।

इस योजना के तहत सूचीबद्ध कोई भी अस्पताल उन विशिष्टताओं के लिए पात्र लाभार्थियों को इलाज से इनकार नहीं कर सकता है, जिनके लिए वह सूचीबद्ध है। इसके परिणामस्वरूप दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है, जिसमें सूची से बाहर निकालना शामिल हो सकता है। सूचीबद्ध अस्पताल द्वारा उपचार से इनकार करने के मामले में, लाभार्थी केंद्रीय शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली (सीजीआरएमएस) के नामित पोर्टल पर शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, लाभार्थी 24x7 हेल्पलाइन 14555 या मेल, पत्र, फैक्स के माध्यम से राष्ट्रीय कॉल सेंटर से संपर्क कर सकते हैं और अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। ऐसी शिकायतों का समाधान त्रिस्तरीय शिकायत निवारण ढांचे के माध्यम से कुशल और पारदर्शी तरीके से किया जाता है।

एबी-पीएमजेएवाई कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और अन्य रोगों जैसे रोगों सहित 27 विभिन्न विशिष्टताओं के तहत कुल 1,949 प्रक्रियाओं के अनुरूप उपचार प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत त्वचा रोगों से संबंधित 26 प्रक्रियाएं और कैंसर से संबंधित 549 प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए एक अनिर्दिष्ट पैकेज का प्रावधान है कि पात्र लाभार्थी ऐसी प्रक्रियाओं के लिए उपचार का लाभ उठा सकें जो स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी) में शामिल नहीं हैं। एचबीपी का विवरण निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:
https://pmjay.gov.in/sites/default/files/2022-04/HBP%202022%20..pdf

झारखंड राज्य में पैनल में शामिल अस्पतालों का विशिष्टता-वार विवरण निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:
https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:659cec5c-65b2-346e-aff0-26942778a916

*****

अनुलग्नक-I

एबी-पीएमजेएवाई के तहत सूचीबद्ध

सार्वजनिक और निजी अस्पतालों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निजी अस्पताल	सरकारी अस्पताल
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	7
आंध्र प्रदेश	1,213	1,449
अरुणाचल प्रदेश	1	61
असम	161	167
बिहार	354	607
चंडीगढ़	22	7
छत्तीसगढ़	553	1,021
दादरा और नगर हवेली	23	4
दमन और दीव	9	3
दिल्ली	51	34
गोवा	6	15
गुजरात	803	1,727
हरियाणा	601	175
हिमाचल प्रदेश	124	146
जम्मू और कश्मीर	112	117
झारखंड	441	280
कर्नाटक	511	2,975
केरल	411	202
लद्दाख	-	10
लक्षद्वीप	-	6
मध्य प्रदेश	517	494
महाराष्ट्र	745	225
मणिपुर	31	70
मेघालय	18	169
मिजोरम	7	89
नागालैंड	21	87
ओडिशा	2	26
पुद्दुचेरी	19	12
पंजाब	646	223
राजस्थान	400	973
सिक्किम	3	16
तमिलनाडु	1,300	1,283
तेलंगाना	325	1,020
त्रिपुरा	4	144
उत्तर प्रदेश	2,416	1,119
उत्तराखंड	139	123
पश्चिम बंगाल	3	62

टिप्पणी: ओडिशा, पश्चिम बंगाल और दिल्ली राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एबी-पीएमजेएवाई को लागू नहीं कर रहे हैं। कार्यान्वयन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लाभार्थियों को स्कीम की पोर्टेबिलिटी सुविधा के अंतर्गत उपचार प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है।

अनुलग्नक-II

झारखंड राज्य में एबी-पीएमजेएबाई के तहत पैनल में शामिल

सार्वजनिक और निजी अस्पतालों की कुल संख्या का जिला-वार विवरण

जिला	निजी अस्पताल	सरकारी अस्पताल
बोकारो	27	18
चतरा	5	8
देवघर	22	9
धनबाद	37	16
दुमका	7	12
पूर्वी सिंहभूम	30	17
गढ़वा	7	12
गिरिडीह	21	13
गोड्डा	18	9
गुमला	3	12
हजारीबाग	30	14
जामताड़ा	5	5
खूंटी	2	8
कोडरमा	14	7
लातेहार	2	9
लोहरदगा	13	6
पाकुड़	7	8
पलामू	26	11
रामगढ़	24	8
रांची	101	32
साहेबगंज	4	7
सरायकेला खरसावां	21	9
सिमडेगा	3	7
पश्चिमी सिंहभूम	12	23

*****

Microsoft®
Translator
Original

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND